

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जून 2022—ज्येष्ठ 30, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जून 2022

क्र. एफ बी-04-03-2022-2-पांच (27).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम/लिविक्वैटर/राज्य शासन के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत अन्य कोई इकाई द्वारा मध्यप्रदेश परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के पक्ष में इनके मुद्रीकरण के प्रयोजन से निष्पादित व्यवसाय या पूंजी या अचल संपत्ति में कोई अधिकार के हस्तांतरण की लिखत पर प्रभार्य पंजीयन फीस से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2022

क्र. एफ बी-04-02-2022-2-पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ बी-04-03-2022-2-पांच (27), दिनांक 20 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20th June 2022

No. F B-04-03-2022-2-V-(27).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of Registration Act, 1908 the State Government, hereby, exempts registration fees chargeable on any instruments for conveyance or transfer of a business or asset or right in any immoveable property from departments of Central/State Government/PSU/Liquidator/ other entities, which are under the administrative control of State Government in favor of Madhya Pradesh State Asset Management Company, for monetization purpose.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.